

मध्य प्रदेश शासन  
वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

॥ आदेश ॥

भोपाल, दिनांक.../.../2012

क्रमांक एफ-25-08/2009/10-2 : राज्य शासन द्वारा विन्ध्य क्षेत्र के उत्कृष्ट कोटि के संरक्षणवादी बसामन मामा की स्मृति में "बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार" सम-संख्यक आदेश क्रमांक एफ 25-8/09/10-2 दिनांक 23 मई, 2009 द्वारा संस्थापित किया गया है। उक्त आदेश द्वारा निर्धारित पुरस्कार एवं प्रक्रिया को निरस्त करते हुए इन पुरस्कारों हेतु पुनरीक्षित प्रक्रिया स्थापित की जाती है।

2/ इन पुरस्कारों हेतु निम्नानुसार श्रेणियां होंगी:-

(A) विन्ध्य क्षेत्र स्तरीय बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण तथा वन संवर्धन पुरस्कार:-

(i) यह पुरस्कार विन्ध्य क्षेत्र, जिसमें छतरपुर, रीवा एवं शहडोल वन वृत्तों के भौगोलिक क्षेत्र आते हैं, उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, पदस्थ शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं वन संवर्धन के लिए प्रदर्शित की गई शूरवीरता, अदम्य साहस, उत्कृष्ट कार्य एवं उल्लेखनीय योगदान के लिये प्रदान किया जाएगा।

(ii) बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण तथा वन संवर्धन पुरस्कार प्रति वर्ष निम्नानुसार दो श्रेणियों में प्रदाय किया जाएगा-

(क) शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की श्रेणी-

(a) प्रथम पुरस्कार- रूपये 2.00 लाख

(b) द्वितीय पुरस्कार- रूपये 1.00 लाख

(c) तृतीय पुरस्कार- रूपये 50 हजार

(ख) अशासकीय व्यक्तियों की श्रेणी-

(a) प्रथम पुरस्कार- रूपये 2.00 लाख

(b) द्वितीय पुरस्कार- रूपये 1.00 लाख

(c) तृतीय पुरस्कार- रूपये 50 हजार

(iii) इन पुरस्कारों के विजेताओं को उपरोक्तानुसार धनराशि के साथ-साथ उनके द्वारा किए गये उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रशस्ति-पत्र भी प्रदान किया जावेगा।

JKM  
mo

- (iv) यदि किसी वर्ष विशेष में बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण तथा वन संवर्धन पुरस्कार किसी अशासकीय व्यक्ति को मरणोपरांत दिया जाता है तब उस वर्ष उपरोक्त अन्य किसी श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदाय नहीं किया जावेगा। चूंकि राज्य शासन द्वारा शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को मरणोपरांत मुआवजा की राशि प्रदान की जाती है, इसलिए उन्हें मरणोपरांत इस श्रेणी के पुरस्कार की पात्रता नहीं होगी।

**(B) राज्य स्तरीय बसामन मामा स्मृति वृक्षारोपण पुरस्कार:-**


- (i) मध्यप्रदेश में निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नानुसार दो श्रेणियों में राज्य स्तरीय बसामन मामा स्मृति वृक्षारोपण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा:-
- (क) 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण की श्रेणी -
- (a) प्रथम पुरस्कार- रूपये 2.00 लाख
- (b) द्वितीय पुरस्कार- रूपये 1.00 लाख
- (c) तृतीय पुरस्कार- रूपये 50 हजार
- (ख) 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में वृक्षारोपण की श्रेणी -
- (a) प्रथम पुरस्कार- रूपये 2.00 लाख
- (b) द्वितीय पुरस्कार- रूपये 1.00 लाख
- (c) तृतीय पुरस्कार- रूपये 50 हजार
- (ii) वृक्षारोपण कार्यो हेतु पुरस्कार व्यक्तियों, संस्थाओं, संयुक्त वन प्रबंध समितियों द्वारा वनों एवं गैर-वन क्षेत्रों में किए गए वनीकरण कार्यो हेतु प्रदान किया जाएगा। उद्यानिकी वृक्षारोपण के साथ किए गए वानिकी वृक्षारोपण भी इस हत पात्र होंगे।
- (iii) राज्य स्तरीय बसामन मामा स्मृति वृक्षारोपण पुरस्कारों के विजेताओं को उपरोक्तानुसार धनराशि के साथ-साथ उनके द्वारा किए वृक्षारोपण कार्य के लिए प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जावेगा।
- (iv) पुरस्कार हेतु चयन का मापदंड-
- (क) वृक्षारोपण कार्य में संलग्न व्यापारिक प्रतिष्ठान राज्य स्तरीय बसामन मामा स्मृति वृक्षारोपण पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होंगे।
- (ख) वृक्षारोपण पुरस्कार के लिए पांच वर्षों से अधिक उम्र के वृक्षारोपण ही पात्र माने जावेगें।

(ग) पुरस्कारों हेतु वृक्षारोपण का चयन उनकी बढ़त, तकनीकी गुणवत्ता, प्रजाति तथा समाज में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में इनके योगदान आदि मापदण्डों के आधार पर किया जावेगा।

3/ उपरोक्त सभी पुरस्कारों हेतु आवश्यक राशि मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघ मर्यादित द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।

4/ इन पुरस्कारों के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन करने हेतु चयन समिति का गठन पूर्ववत् रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(विश्राम सागर शर्मा)

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल दिनांक 16/10/2012

पु. क्रमांक एफ-25-08/2009/10-2

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी
2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, वन
3. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्रीजी, वन
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, भोपाल
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य-आयोजना, मध्यप्रदेश
9. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, वन
10. आयुक्त, जन सम्पर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल




अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रमुख.सं. M. 12/11

मध्यप्रदेश मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-1)

म.प्र. भोपाल

  
अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग (कक्ष-2)  
वल्लभ भवन, भोपाल

175238  
19-10-12  
JFM-8A/174  
19.10.12